न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(कुशल कुमार कोठारी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 22/2021
जीसीएमएस नः– 2021/73
दायर दिनांक :– 14/07/2021
निर्णय दिनांक :– 21/12/2021

अनवान

श्री माधुलाल पिता कजोडीमल, जाति सेटिया निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमन्द

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा प्रकरण संख्या 26/2020 ना0क0 बअनवान सरकार बनाम माधुलाल निर्णय दिनांक 15.09.2020

उपस्थित :–

1–श्री आर0 एल0 रावत, अधिवक्ता अपीलान्ट
2–श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 21.12.2021

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलांट के विरूद्व राजस्व ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित खसरा नम्बर 2226/1 रकबा 60–19–10 में से 1–05 एक बीघा पांच बिस्वा किस्म चरागाह पर थोहर बाड कर उस भूमि में अपीलाण्ट के द्वारा चरी और जवार की फसल बोकर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित को भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये लगान 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति 50/–रूपये आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 15.09.2020

अतिरिक्त कलक्टर
राजसमन्द

को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित खसरा नम्बर 2226/1 रकबा 60–19–10 में से 1–05 एक बीघा पांच बिस्वा किस्म चरागाह पर प्रार्थी का बहुत पुराना कब्जा है। अपीलान्ट मौके पर पूर्वजो के समय से ही उक्त भूमि जो की उबड खाबड थी वह अनउपजाउ थी उसे काफी मेहनत करके लागत लगाकर उक्त भूमि के चारों और थोहर बाड लगाकर हकबंधी की है एवं मौके पर काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इरादतन अपीलान्ट को बेदखली का जो आदेश पारित किया है वह पुर्वाग्रहित होने से काबिले खारिज योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई वास्तविक जांच किये न ही कोई साक्ष्य को रेकार्ड पर लिये आनन फानन में आदेश पारित करके कानुन, विधि की सरेआम अवहेलना की है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुना ही नही गया न ही उन्हें सुनने का समुचित अवसर दिया गया न ही अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को रेकार्ड पर ली गई और अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से व गलत रूप से बेदखल करने की नियत से जो आदेश पारित किया है वो प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है।

अपीलाण्ट भूमिहीन काश्तकार है जिसके वर्तमान् में उक्त भूमि के अलावा ओर कृषि योग्य कोई भूमियां नही है पुरा परिवार इस भूमि पर कृषि कार्य करके फसल काश्त करके जीविकापार्जन करता आया है एवं पुरा परिवार इसी भूमि से अपने परिवार का पालन पोषण करता है इसके अलावा ओर कोई काम धंधा अपीलाण्ट के पास नही है। इसके अलावा उक्त भूमि पर लगातार रूप से अधिकार पूर्वक निर्वघ्न रूप से साधिकार पूर्वक उक्त भूमि पर काबिज होकर खुलेआम अपीलाण्ट खेती करता चला आया है। इसलिये अपीलाण्ट प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा के अनुसार उक्त भूमि का काश्तकार हो गया है इसलिये अपीलान्ट अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए जो बेदखली की कार्यवाही की है वो विधि एवं कानुन के सिद्धान्तों के प्रतिकुल होने से

अतिरिक्त कलक्टर
राजसमन्द

प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है एवं काश्तकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी अपीलान्ट उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार निहित हो गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को पत्रावली पर आने ही नही दिया न ही अपीलाण्ट को सुना गया, न ही सुनवाई का अवसर दिया गया, अपीलान्ट के बाले बाले ही जो निर्णय/आदेश पारित किया है वह अपीलाण्ट के मुकाबले प्रथम दृष्टया ही अवैध व शुन्य है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलाण्ट माधुलाल के नाम पर आराजी संख्या 2226/1 का रकबा 1–05 बीघा जो अंकन लिखा है वो गलत है क्योंकि अपीलाण्ट ने मौके पर 3 बीघा भूमि पर काबिज होकर निरन्तर अपने पूर्वजो के समय काश्त कर रहा है। इसकी पुष्टि खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त से बनने वाली जमाबंदी सम्वत् 2062 से 2075 में अपीलाण्ट के नाम पर 3–00 बीघा जमीन पर काबिज होकर उसमें काश्त करने का प्रमाण है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय इन चीजों को नजरअंदाज करते हुऐ इन चीजों को रेकार्ड पर नहीं आने देने की कुचेष्टा से अपीलाण्ट को सुना नही गया नही कोई दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया एवं अपीलान्ट के बाले बाले ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश/ निर्णय पारित कर भारी भूल की है।

अपीलान्ट का प्रकरण काबिले नियमन योग्य है एवं कानुन एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों की नजर में काबिले नियमन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानुन का बिना अवलोकन किये जो आदेश पारित किया है वह काबिले खारीज योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.09.2020 को जो आदेश पारित किया है उसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी और अपीलान्ट की गैर मोजुदगी में आदेश पारित किया है। उक्त आदेश अपास्त होन योग्य है। यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय आदेश पारित करे तो अपीलाण्ट की उपस्थिति में सुनाया जाना चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानुन की पालना नही कर मनमकसुद तरिके से आदेश पारित करने में विधि की भारी भुल कारित की है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रेलमगरा के द्वारा पारित आदेश मु0 न0 26/2020 ना.क. निर्णय दिनांक 15.09.2020 को अपास्त किया जावे एवं अपील स्वीकार कर मौजा ग्राम रेलमगरा के खसरा नम्बर 2226/1 रकबा 60–19–10 में से 1–05 एक बीघा पांच बिस्वा किस्म चरागाह जो नियमन योग्य है इसलिये नियमन की अनुशषां करते हुए राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित खसरा नम्बर 2226/1 रकबा 60–19–10 में से 1–05 एक बीघा पांच बिस्वा किस्म चरागाह पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलाण्ट द्वारा चारागाह राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही

अतिरिक्त कलक्टर
राजसमन्द

विधिसम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । तथा अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम रेलमगरा के खसरा नम्बर 2226/1 रकबा 60–19–10 में से 1–05 एक बीघा पांच बिस्वा किस्म चरागाह पर अतिक्रमण किया गया हैं। एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमण से बेदखल करने व शास्ति 50/–रूपये आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी को बेदखल करने व शास्ति 50/– रूपये आरोपित करने के आदेश से मैं सन्तुष्ट हूँ। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। प्रार्थी भूमि आंवटन हेतू पृथक से सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतू स्वतन्त्र है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता है। अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है।

(कुशल कुमार कोठारी)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुशल कुमार कोठारी)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द